कार्यालय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

नीलामी सूचना

पत्रांक :- 450 / पेड़ नीलामी / 2024-25 / नजारत दिनांक : 23.11.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 22.11.2024 के अनुपालन में जिला न्यायालय अलीगढ़ परिसर में कुल 03 खड़े सूख चुके पेड़ों पापड़ी, अमलतास एवं युकेलिप्टस की नीलामी की जानी है, जिनका विवरण कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 1264/ 22-1, दिनांक: अलीगढ़: नवम्बर 06, 2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार निम्नवत है :-

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई सेमी.	डायामीटर	दशा	श्रेणी	मूल्यांकन	धनराशि
1	पापड़ी	160	5-6	सूखा खड़ा	अयोग्य	4992/4	1248.00
2	अमलतास	90	2-3	सूखा खड़ा	अयोग्य	693/4	173.00
3	यूकेलिप्टस	185	5-6	सूखा खड़ा	अयोग्य	2700/4	675.00
						योग	**2096.00**

उपरोक्त पेड़ों की नीलामी की कार्यवाही **दिनांक 30.11.2024** को **सायं 04:30** बजे **जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार** में की जायेगी । उक्त 03 खड़े सूख चुके पेड़ों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय 11:00 AM से 03:00 PM के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है । इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :-

1. प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि रु० 1,000/- (एक हजार) केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर के पास नीलामी की तिथि को 12:00 PM से 02:00 PM तक जमा करनी होगी । यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी ।
2. क्रेता नियमानुसार आय कर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेगा ।
3. वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी-प्राप्तकर्ता को अनुमति-पत्र प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर समस्त धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही वृक्षों का कटान व निकासी की जा सकती है । यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में तथा कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी ।
5. सभी वृक्षों की कटाई, जड़ खुदान क्रेता द्वारा की जायेगी तथा जड़ खुदान के बाद क्रेता द्वारा गड्ढा बन्द करना होगा ।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी-प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
7. नीलामी-प्राप्तकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम निकास अवधि तक उनके द्वारा किये गये कृत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सरकारी सम्पत्ति या अन्य प्रकार की सम्पत्ति व जन-धन को नुकसान पहुंचाने की दशा में हुई क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।

8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी ।
9. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ का होगा।
10. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है ।
11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा ।
12. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अलीगढ़ होगा ।
13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी द्वारा विक्रय रद्द समझा जायेगा ।

23.11.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट)
अलीगढ़ ।

Spl Judge (SC/ST Act) /
Addl Dist. & Sess. Judge
Aligarh

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
3. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
4. जनपद न्यायालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
5. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
9. केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
10. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर पर कराने का कष्ट करें ।
11. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क कराने का कष्ट करें ।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
13. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

23.11.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट)
अलीगढ़ ।

Spl Judge (SC/ST Act) /
Addl Dist. & Sess. Judge
Aligarh